न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–20/22 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–22.04.2022
निर्णय दिनाकः–12.05.2025

अनवान

श्री मुकेश उर्फ योगेश पिता रतनलाल निवासी पाडवा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थी)

बनाम

भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी –श्री विपीन शर्मा एव निखिल सोमपुरा
अप्रार्थी 2– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भुमि मौजा पाडवा मे खाता संख्या 38/36 कुल खसरा 28 कुल रकबा 1.8754 हेक्टर की स्थित है उक्त खाते के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र रतनलाल त्रूटी वश दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पहचान व पते के दस्तावेज राशन कार्ड,आधार कार्ड व लाईट बिल आदि मे प्रार्थी का वास्तविक नाम योगेश अकिंत है। राजस्व अधिकारीयो के द्वारा त्रूटी वश उक्त खाते मे प्रार्थी का वास्तविक नाम योगेश के स्थान पर मुकेश अकिंत कर दिया है। वादग्रस्त खाते मे प्रार्थी का सही नाम योगेश अकिंत किए जाने पर सहखातेदारो कोई आपत्ति नही है जिसका सहमति पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त खाते मे सह खातेदार चन्द्रलाल पिता जयशंकर,नारायणी पुत्री रतनलाल,शम्भुलाल पुत्र जयशंकर का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर के द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 1 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर प्रार्थी का वास्तविक नाम योगेश पिता रतनलाल होना स्वीकार किया तथा उक्त नाम की शुद्वि बाबत् सहखातेदारो की सहमति

होना भी बताया गया जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का पाडवा से विरासती नामान्तकरण की प्रति तलब करने पर विरासती नामान्तकरण संख्या 1871 दिनांक 20.11.95 पेश किया गया। जिसमें रतनलाल पिता शंकरलाल 1/2 सा.देह ब्राहमण के फोत होने पर श्री उमीयाशंकर, मनोहरलाल, पियूष, सतीशचन्द्र, हरीश, इन्द्रजीत, मुकेश, जानकी, नारायणी, लक्ष्मी पिता रतनलाल, हणगारी बेवा रतनलाल 1/2 सा0देह ब्राहमण शेष इन्द्राज वदस्तुर खातेदार दर्ज हुए। जिसमें प्रार्थी का नाम मुकेश ही दर्ज हुआ है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 136 में स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्व रेकार्ड की जमावन्दी में पुर्व की प्रविष्ठीयों में शुद्विकरण न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रविष्ठी सुधारी जा सकती है। अतः हस्तगत प्रकरण में नाम की त्रुटी विरासती नामान्तकरण प्रार्थी स्वंय के द्वारा खुलवाये जाने से प्रार्थी का विरासती नामान्तकरण उक्त खाते मे खोला गया है। जिस कारण उक्त जमाबन्दी में की गई प्रविष्ठीयों में पुर्व की कोई त्रुटी नही है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी स्वंय के द्वारा कराई गई प्रविष्ठियों में सुधार कराने का अधिकारी नही है।

अतः प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चलने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा